न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/317

1. नरेन्द्र चौहान आत्मज श्री रामस्वरूप जी जाति माली निवासी ग्राम खेडा रसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. शांति बाई विधवा श्री रामस्वरूप जी जाति माली निवासी ग्राम खेडा रसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. बसन्ती बाई पुत्री रामस्वरूप जी धर्म पत्नी श्री रमेश जी जाति माली निवासी ग्राम खडिया तहसील सांगोद जिला कोटा ।
4. कमलेश पुत्री श्री रामस्वरूप धर्म पत्नी श्री मोहन लाल जाति माली निवीस गैस गोदाम के पास बजरंग नगर, कोटा ।
5. मंजू पुत्री श्री रामस्वरूप जी धर्म पत्नी श्री जोगेन्द्र जी जाति माली निवासी डॉक्टर पठान के पास सरस्वती कॉलोनी, कोटा ।
6. उर्मिला पुत्री श्री रामस्वरूप जी धर्म पत्नी श्री महावीर जी जाति माली निवासी लालजी का घांट लाडपुरा कोटा ।
7. निर्मला पुत्री श्री रामस्वरूप जी धर्म पत्नी लोकेश जी जाति माली निवासी गैस गोदाम के पास बजरंग नगर, कोटा ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. श्याम नारायण आत्मज श्री गजानन्द जी जाति माली निवासी खेडा रसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. बृजमोहन आत्मज श्री गजानन्द जी जाति माली निवासी ग्राम खेडा रसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

----रेस्पोडन्ट

अपील संख्या : 17/364

1. नरेन्द्र चौहान आत्मज श्री रामस्वरूप जी जाति माली निवासी ग्राम खेडा रसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. शांति बाई विधवा श्री रामस्वरूप जी जाति माली निवासी ग्राम खेडा रसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. बसन्ती बाई पुत्री रामस्वरूप जी धर्म पत्नी श्री रमेश जी जाति माली निवासी ग्राम खडिया तहसील सांगोद जिला कोटा ।
4. कमलेश पुत्री श्री रामस्वरूप धर्म पत्नी श्री मोहन लाल जाति माली निवीस गैस गोदाम के पास बजरंग नगर, कोटा ।
5. मंजू पुत्री श्री रामस्वरूप जी धर्म पत्नी श्री जोगेन्द्र जी जाति माली निवासी डॉक्टर पठान के पास सरस्वती कॉलोनी, कोटा ।

6. उर्मिला पुत्री श्री रामस्वरूप जी धर्म पत्नी श्री महावीर जी जाति माली निवासी लालजी का घांट लाडपुरा कोटा ।
7. निर्मला पुत्री श्री रामस्वरूप जी धर्म पत्नी लोकेश जी जाति माली निवासी गैस गोदाम के पास बजरंग नगर, कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. बृजमोहन आत्मज श्री गजानन्द जी जाति माली निवासी ग्राम खेडा रसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. श्याम नारायण आत्मज श्री गजानन्द जी जाति माली निवासी खेडा रसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

अपील संख्या : 17/365

1. नरेन्द्र चौहान आत्मज श्री रामस्वरूप जी जाति माली निवासी ग्राम खेडा रसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. शांति बाई विधवा श्री रामस्वरूप जी जाति माली निवासी ग्राम खेडा रसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. बसन्ती बाई पुत्री रामस्वरूप जी धर्म पत्नी श्री रमेश जी जाति माली निवासी ग्राम खडिया तहसील सांगोद जिला कोटा ।
4. कमलेश पुत्री श्री रामस्वरूप धर्म पत्नी श्री मोहन लाल जाति माली निवीस गैस गोदाम के पास बजरंग नगर, कोटा ।
5. मंजू पुत्री श्री रामस्वरूप जी धर्म पत्नी श्री जोगेन्द्र जी जाति माली निवासी डॉक्टर पठान के पास सरस्वती कॉलोनी, कोटा ।
6. उर्मिला पुत्री श्री रामस्वरूप जी धर्म पत्नी श्री महावीर जी जाति माली निवासी लालजी का घांट लाडपुरा कोटा ।
7. निर्मला पुत्री श्री रामस्वरूप जी धर्म पत्नी लोकेश जी जाति माली निवासी गैस गोदाम के पास बजरंग नगर, कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. बृजमोहन आत्मज श्री गजानन्द जी जाति माली निवासी ग्राम खेडा रसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. श्याम नारायण आत्मज श्री गजानन्द जी जाति माली निवासी खेडा रसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से तीनों अपीलों में ।
2. श्री दीनानाथ गालव, अभिभाषक, अपील संख्या 17/317 में रेस्पोडेन्ट कम 1 की ओर से एवं अपील संख्या 17/364 एवं 17/365 में रेस्पोडेन्ट कम 2 की ओर से ।
3. श्री ओम प्रकाश नागर, अभिभाषक, अपील संख्या 17/317 में रेस्पोडेन्ट कम 2 की ओर से एवं अपील संख्या 17/364 एवं 17/365 में रेस्पोडेन्ट कम 1 की ओर से ।

दिनांक: 04.06.2019

निर्णय

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त तीनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.06.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. तीनों अपीलें एक ही वादग्रस्त आराजी की होने तथा समान प्रकृति की होने से उक्त तीनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय अलग–अलग पत्रावली में सलंग्न किया जावे ।

3. अपील संख्या 17/316 में प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 53 के अन्तर्गत ग्राम खेडा रसूलपुर की आराजी कुल 02 किता की 1.47 हैक्टर एवं अन्य अन्य भूमि रकबा 0.86 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर वादी का वाद स्वीकार करने का निवेदन किया ।

4. अपील संख्या 17/364 में प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट कम 1 से 7 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का ग्राम खेडा रसूलपुर की आराजी कुल 06 किता की रकबा 0.86 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में पेश कर वादीगण का वाद स्वीकार करने का निवेदन किया ।

5. अपील संख्या 17/365 में प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का ग्राम खेडा रसूलपुर की आराजी कुल 02 किता की रकबा 1.47 हैक्टर के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर वादीगण का वाद स्वीकार करने का निवेदन किया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तीनों वादों को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 09.06.2017 के द्वारा वाद संख्या 79/14 स्वीकार किया गया । वाद संख्या 112/14 एवं 04/14 खारिज किये गये ।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.06.2017 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में तीन अलग–अलग अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वाद का गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना ही वाद खारिज कर दिया । लोक अदालत में पक्षकारान की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । पक्षकारान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में किसी प्रकार का कोई राजीनामा नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की भावना के विरूद्ध निर्णय पारित किया है । अतः तीनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.06.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

8. तीनों अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली तलबी में लम्बित थी और अपीलान्ट को सूचना दिये बिना इसे लोक अदालत में रखा गया और दावा वादी खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य लिये बिना ही सीपीसी की पालना किये बिना ही उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो विधि –विरूद्ध है । पक्षकारों के मध्य कोई राजीनामा नहीं हुआ था फिर भी दावा वादी लोक अदालत में डिक्री किया गया है । अतः तीनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.06.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की भावना से निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत है । अतः तीनों अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.06.2017 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली तलबी में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में न तो पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और न ही पक्षकारान के मध्य कोई राजीनामा हुआ है । सीपीसी की पालना किये बिना ही लोक अदालत में उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया गया है जबकि लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक रूप से राजीनामा पेश करें । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर तीनों अपील अपीलान्ट संख्या 17/317 एवं अपील संख्या 17/364 एवं अपील संख्या 17/365 तीनों आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.06.2017 वाद संख्या 112/14, 79/14 एवं 04/14 तीनों निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादी से जवाबदावा प्राप्त कर दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट विवेचन करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 22.07.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 04.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

4/6/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा